

डिकरी व मुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना, आर.ए.एस

मु० उनवान शकुन्तला बनाम नैमसिंह वगौरा

दावा बाबत 88,89,188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 126/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू- व हाजरी नादी
मिनजानिब मुददत व मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

विवादित हाल आराजी खाता सं. 114 के आराजी खसरा न. 2 रकवा 0.57, 3 रकवा 0.04, व 7 रकवा 0.60 व 8 रकवा 0.07 हैक्टेयर किता 4 कुल रकवा 1.28 हैक्टेयर वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुरेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदार कारस्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नदबई के पत्रांक 1221 दिनांक 16.04.2024 से प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिकरी का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिंग ----- बावत ----- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ----- की अदा करें ।

दसवा व मुहर अदालत के आज तारीख 30/4/2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत

30/4/24

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकम नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

30/4/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठारीन अधिकारी:- श्री गंगाधर भीना (R.A.S.)

दावा सं.
126/2019

रजू दिनांक
20.12.2019

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
.....30.04.24

उगवान

1. शकुन्तला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी करवा नदबई तह.
नदबई(भरतपुर)
2. खूवीराम पुत्र रोशनसिंह जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)

वादीगण

वनाम

1. नैमसिंह मृत
2. रणधीर पिता नैमसिंह जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
3. मुकेश पिता नैमसिंह जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
4. रामादेवी पत्नी नैमसिंह जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
5. मछला पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री नैमसिंह हाल निवासी बसु तहसील मांट
जिला मथुरा उ0प्र0
6. बबीता पत्नी किशना पुत्री नैमसिंह हाल निवासी कूम्हां तहसील मांट जिला
मथुरा उ0प्र0
7. थानसिंह पिता महेन्द्र जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
8. सोनवीर पिता महेन्द्र जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
9. सत्यभान पुत्र विजयसिंह जाति जाट निवासी मांझी तह.नदबई(भरतपुर)
10. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
11. स्टेट बैंक जयपुर एण्ड बीकानेर शाखा नदबई
12. एचडीएफसी शाखा भरतपुर

प्रतिवादीगण


1
30/4/24
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक ...30.04.24.....को श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खाता सं. 114 के आराजी खसरा न. 2 रकबा 0.57, 3 रकबा 0.04, व 7 रकबा 0.60 व 8 रकबा 0.07 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर वाके ग्राम मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नदबई के पत्रांक 1221 दिनांक 16.04.2024 से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक ...30.04.24.....को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(गंगाधर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)